This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 04 नवम्बर, 2025 / 13 कार्तिक, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st November, 2025

No. NES-F(1)-1/2020.—In continuation to this department's Notification of even No. dated 25-08-2025 the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following

amendments in the Scheme titled as "Scheme For Setting Up Solar Power Projects With Interest Subsidy for Bonafide Himachalis" with immediate effect as under:—

1. The scheme shall now be named as **"Rajiv Gandhi Startup Swarozgaar Saur Urja Yojana".**

2. Clause No. 4.1 shall be substituted as under:

   "5% interest subsidy shall be provided for setting up ground-mounted Solar Power Projects (SPPs) ranging from 100 kW to 2 MW in tribal areas."

3. Clause No. 4.2 shall be substituted as under:

   "4% interest subsidy shall be provided for setting up ground-mounted Solar Power Projects (SPPs) ranging from 100 kw to 2 MW in non-tribal areas."

4. Clause No. 9.2 shall be substituted as under:

   "For establishing Solar Projects ranging from 100 kw to 2 MW in tribal areas, the interest subsidy shall be 5 percent."

5. Clause No. 9.3 shall be substituted as under:

   "For establishing Solar Projects ranging from 100 kw to 2 MW in non-tribal areas, the interest subsidy shall be 4 percent."

   All other terms and conditions of the scheme will remain the same.

By order,

Sd/-
(RAKESH KANWAR),
Secretary (NES).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th October, 2025

No. TCP-F(5)-4/2002-Loose.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following person(s) as non-official members in respect of Special Area Development Authority, Keylong, District Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh, with immediate effect, in the public interest:—

Sl. No.	Detail of the Person(s) along with Address
1.	Sh. Vipin Shashni, Chairman, BDC, Keylong, V.P.O. Goshal, District Lahaul & Spiti.
2.	Smt. Nirmala Devi, Zila Parishad Member, Sissu Ward, r/o Village Dimphuk, P.O. Koksar, Tehsil Keylong, District Lahaul & Spiti.
3.	Sh. Rajiv Kumar, Pradhan, G.P. Sissu, Tehsil Keylong, District Lahaul & Spiti.
4.	Sh. Suresh Kumar, Pradhan, G.P. Khangsar, Tehsil Keylong, District Lahaul & Spiti.
5.	Sh. Virender Kumar, Pradhan, G.P. Tandi, Tehsil Keylong, District Lahaul & Spiti.
6.	Sh. Anil Kumar, Up-Pradhan, G.P. Gondhla, Tehsil Keylong, District Lahaul & Spiti.
7.	Sh. Susheel, Up-Pradhan, G.P. Mooling, Tehsil Keylong, District Lahaul & Spiti.

By order,

SANJAY GUPTA,
Chief Secretary.

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 1st November, 2025

No. EDN-C-A(9)2/2025.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the opening of three (03) new Government Primary Schools in District Solan as under:—

1. Government Primary School at village Haripur Sandholi-II Vass Khabdiyan, Education Block Baddi.

2. Government Primary School at Village Suraj Majra Lubana, Education Block Baddi.

3. Government Primary School at Village Chakkan, Education Block Baddi.

These schools may be made operational/functional from next academic session 2026-27.

By order,

Sd/-
Secretary (Education).

INDUSTRIES DEPARTMENT
(Section-A)

NOTIFICATION

Shimla 171002, the 03rd Novembre, 2025

No. Ind-A(F)10-4/2023.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Standing Committee, is pleased to declare the following land as **"Industrial Areas"** in the interest of industrialization in the State, with immediate effect:—

Sl. No.	Revenue Village	Khasra No. and Area	Area	Name of Industrial Area
1.	Village Har, Mauja Nanawan, Tehsil Barsar, Khata No. 160 Min, Khatauni No. 222 Min.	Khasra No. 1/2 Khasra No. 1/4/1	00-17-73 Hect. 00-29-41 Hect **Total Area- 00-47-14 Hect.**	Industrial Area, Har
2.	Mauja Kishanpura, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.	Khasra No. 689/1	03-01 Bigha	Industrial Area, Kishanpura
3.	Mauja Bhud, Tehsil Baddi, District Solan, H.P.	Khasra No. 1559/ 1232/1	00-15 Bigha	Industrial Area, Makhnu Majra
4.	Mauja Androla Uperla, Sub-Tehsil Panjhera, District Solan, H.P.	Khasra No. 339/ 105/1	02-02 Bigha	Industrial Area, Androla Uperla
5.	Mauza Bersan, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P.	Khasra No. 823/ 285/1/1	00-13 Bigha	Industrial Area, Bersan

By order,

R.D. NAZEEM, I.A.S.
Additional Chief Secretary (Inds.) .

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 29th October, 2025

No. LLR-E(9)-6/2025-Legn.—Whereas, the following Advocate of District Kangra, H.P. has applied for appointment of notary in the place and area mentioned against her name under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:

Sl. No.	Name of Advocate	Area for which she applied for appointment of Notary
1.	Smt. Shalu Guleria w/o Sh. Sandeep Rana, Vill. Parnoh, P.O. & Sub. Tehsil Panchrukhi, Distt. Kangra (H.P.)-176103.	Tehsil Panchrukhi (Palampur) District Kangra (H.P.).

Therefore, the undersigned in exercise of the powers conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Legn. dated 12th August, 2025, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in Rajpatra (e-Gazette) H.P. against her appointment as a notary in Tehsil Panchrukhi (Palampur) of District Kangra (H.P.)

JYOTI RAM CHAUHAN,
(Competent Authority),
DLR-cum-*Deputy Secretary (Law).*

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 30th October, 2025

No. LLR-E (9)-9/2022-Leg.—Whereas, the following Advocate of District Kullu (H.P.) has applied for appointment of notary in the place and area mentioned against his name under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:

Sl. No.	Name of Advocate	Area for which he applied for appointment of Notary
1.	Sh. Chuni Lal Dogra s/o Sh. Lal Dass Dogra, r/o Village Deem, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.)-172002.	Sub-Division Nirmand, Distt. Kullu

Therefore, I undersigned in exercise of the powers conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg., dated 12th August, 2025, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh against his appointment as notary in Sub-Division Nirmand, District Kullu.

JYOTI RAM CHAUHAN,
(Competent Authority),
DLR-cum-*Deputy Secretary (Law).*

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 10th September, 2025

No. LLR-E (9)-6/2023-Legn.—Whereas, the following Advocate of District Sirmaur (H.P.) has applied for appointment of notary in the place and area mentioned against his name under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:

Sl. No.	Name of Advocate	Area for which he applied for appointment of Notary
1.	Sh. Sanjeev Kumar, Advocate, s/o Late Sh. Shyam Lal, r/o V.P.O. Rajpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmour, (H.P.)-173025.	Sub-Division Paonta Sahib, District Sirmour.

Therefore, I undersigned in exercise of the powers conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg., dated 12th August, 2025, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh against his appointment as notary in Sub-Division Paonta Sahib, District Sirmaur.

JYOTI RAM CHAUHAN,
(Competent Authority),
DLR-cum-*Deputy Secretary (Law).*

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 3rd November, 2025

No. GAD-B(F)4-2/2025.—In continuation to this department notification of even No. dated 23-08-2025, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to nominate **"Sh. Sanjay Thakur r/o Village Tyasar, Tehsil Bangana, District Una"** as the non-official member in H.P. Rajput Kalyan Board in place of **"Sh. Karam Chand Sharma, r/o Vill. Jassana, Tehsil Bangana, Distt. Una"** appearing at Serial No.101, with immediate effect.

By order,

SANJAY GUPTA,
Chief Secretary.

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 91 / 25 / तेह0 किस्म मुकद्दमाः तकसीम

1. रजनी चंदेल पांति विकास पुत्र मस्त राम, निवासी नगरोटा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

बनाम

1. सलील पांति, विक्रम चंद पुत्र कृष्ण चंद, निवासी गांव कस्बा नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0, 2. राज कुमार, 3. भीरु राम, 4. उतम चंद पुत्र घौणा पुत्र डांसु, निवासी गांव कस्बा नरवाना, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.––तकसीम भूमि खाता नं0 6, खतौनी नं0 6, खसरा नं0 2154 / 1291, रकबा तादादी 00–16–37 है0, वाक्या महाल कस्बा नरवाना, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थिया रजनी चंदेल पांति विकास पुत्र मस्त राम, निवासी नगरोटा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा प्रार्थना–पत्र तकसीम बारे गुजारा है, जिसमें प्रतिवादीगण को समन जारी किए थे परन्तु प्रतिवादी को समन तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस मुस्त्री मुन्यादी / इश्तहार राजपत्र के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम बारे कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 17–11–2025 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 / 2025

Sh. Vinod Kumar s/o Man Bahadur, r/o Ward No. 1, Slate Godam, P.O. Yol Cantt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Vinod Kumar s/o Man Bahadur, r/o Ward No. 1, Slate Godam, P.O. Yol Cantt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि

उसकी self Vinod Kumar s/o Man Bahadur का जन्म दिनांक 20–04–1980 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Vinod Kumar के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22–11–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :

Smt. Jaswant Kaur d/o Sh. Roshan Lal, r/o V.P.O. Jheol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Jaswant Kaur d/o Sh. Roshan Lal, r/o V.P.O. Jheol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Jaswant Kaur d/o Sh. Roshan Lal का जन्म / मृत्यु दिनांक 08–11–1969 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म / मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा / मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Jaswant Kaur की जन्म / मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23–11–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म / मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

क्रमांक.....रीडर–1

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती बारे

अविनाश चड्ढा पुत्र स्वर्गीय श्री राम, निवासी वार्ड नं0 6, मकान नं0 203, कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थी अविनाश चड्ढा पुत्र स्वर्गीय श्री राम निवासी वार्ड नं0 6, मकान नं0 203, कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

प्रार्थी अविनाश चड्ढा पुत्र स्वर्गीय श्री राम, निवासी वार्ड नं0 6, मकान नं0 203, कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रशपथ–पत्र सहित इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम उप–महाल धर्मशाला में रमेश चंद पुत्र स्वर्गीय राम लाल दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड, उप–महाल धर्मशाला में रमेश चंद उपनाम अबिनाश चड्ढा पुत्र राम लाल दर्ज करवाना चाहता है जोकि प्रार्थी का सही व प्रचलित नाम है। प्रार्थी द्वारा इसकी पुष्टि के लिए शपथ–पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति भी साथ लगाई गई है। मिसल को छानबीन हेतु हल्का कानूनगो द्वितीय को भेजा गया। राजस्व अभिकरण द्वारा प्रार्थी द्वारा दिये गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व उचित छानबीन की गई तथा अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा आम जनता तथा संबन्धित पक्षों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अविनाश चड्ढा पुत्र स्वर्गीय श्री राम लाल निवासी वार्ड नं0 6, मकान नं0 203, कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के नाम की दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16–11–2025 को उपस्थित होकर अपने उजर / एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नाम दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे, उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 25–09–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––

व अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख 15–11–2025

मुश्त्री मुनादी।

तारिका

बनाम

पुनीश शर्मा आदि

प्रतिवादी 1. श्री रजनीश शर्मा पुत्र श्रीमती पवना पत्नी मूल राज पुत्र सीता राम, 2. नन्द किशोर पुत्र कृषण चंद पुत्र मदल लाल, 3. श्रीमती विभूति गुप्ता पुत्री विपिन कुमार पुत्र राम किशन, 4. श्रीमती चंचल देवी पत्नी दीना नाथ पुत्र देविया, 5. श्रीमती प्रवीन कुमारी पुत्री गरीबु पुत्र देविया, श्रीमती भोटो पुत्री देविया पुत्र फांदी, 6. श्री जगदीश चंद किशोरी लाल, अजय कुमार पुत्रान व श्रीमती कुंती देवी, रेखा देवी पुत्रियां श्रीमती मंशा पुत्री देविया, 7. श्रीमती अराधना देवी पुत्री चौकस राम पुत्र भगत, 8. श्री मचलू पुत्र भगत पुत्र भजन, 9. श्री नेक राम पुत्र गिट्टा राम पुत्र वलिया, 10. श्री पृथ्वी राज, रतन चंद पुत्रान भीमसेन पुत्र भजन, 11. श्रीमती मंजुला कुमारी पुत्री अर्जुन सिंह पुत्र धनी राम, 12. श्रीमती नम्रता सरीन पुत्री हेम राज पुत्र राम नाथ सूरी, 13. श्रीमती शिखा महान पत्नी सुमित महाजन पुत्र मनोहर लाल, 14, नीलम अरोड़ा पत्नी विनोद कुमार पुत्र बलवंत, 15. श्रीमती पूजा पत्नी कपिल पुत्र अशोक कुमार, 16. श्रीमती नंदिनी जग्गी पुत्री कुलदीप सिंह पुत्र साहब सिंह, 17. श्रीमती वीना देवी पुत्री रचना देवी पत्नी सुख देवी, 18. श्री पवन कुमार, महेश कुमार पुत्रान मुनि लाल पुत्र शिव राम, 19. श्री राजेश कुमार पुत्र दविंदर कुमार पुत्र शिव प्रसाद, 20. श्री ब्रिज किशोर पुत्र ओम प्रकाश पुत्र शिव राम, 21. श्री हरबंश लाल, राजिंदर कुमार, प्यारे लाल, किशारी लाल पुत्रान नाथू पुत्र देविया, 22. श्रीमती चंचला पत्नी स्व0 चंगड पुत्र बिलखी, 23. सुभाष चंद पुत्र प्रेम दास पुत्र सुखु मल, 24. श्रीमती नखरो देवी उपनाम मिस्सो देवी पुत्री मखौली पुत्र बलाकी, 25. श्री पृथ्वी राज पुत्र डॉ0 आशीष कुमार पुत्र विनोद कुमार पुत्र अजुध्या प्रसाद, 26. गौरव सेठी पुत्र श्रीमती मधु देवी, 27. श्री विक्रम सौंधी पुत्र सर्वजीत पुत्र गिरधार लाल, 28. श्री अमित डोगरा पुत्र राजिंदर कुमार पुत्र रामदास, 29. श्री महिंदर पाल अवस्थी पुत्र सोमदत्त पुत्र कोलमा राम, 30. श्री पृथ्वी राज, अंगत राम पुत्रान भोलर पुत्र फांदी, 31. श्री सरवन कुमार पुत्र बालम पुत्र भजना, 32. श्रीमती मधु अवस्थी पत्नी महिंदर अवस्थी, 33. श्री जगदीश, प्रकाश चंद पुत्रान, 34. श्रीमती मधुमिनाक्षी पुत्री देवी सिंह।

विषय.––भूमि खाता नंबर 58, 59, 119, 120 गांव खड़ोता, डाकघर खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

इस अदालत में प्रार्थी श्रीमती तारिका पत्नी संदीप कुमार पुत्र सतपाल ने उपरोक्त वर्णित भूमि खाता नंबर की तकसीम करने बारे प्रार्थना–पत्र पेश किया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष समन साधारण तरीका से तामील नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस अदालती इश्तहार राजपत्र, हि0प्र0 सरकार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 15–11–2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। अन्यथा गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर और मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

Mrs. Choezom d/o Sh. Sonam, r/o Parliament CTA Gangchen Kyishong, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public,
2. The Commissioner-*cum*-Registrar Birth and Death, MC Dharamshala]
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mrs. Choezom, d/o Sh. Sonam, r/o Parliament CTA Gangchen Kyishong, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 28–07–1978 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Choezom, d/o Sh. Sonam के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 25–11–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

Ms. Shilpa Bains d/o Sh. Surinder Singh, r/o VPO Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public,
2. The Commissioner-*cum*-Registrar Birth and Death, MC Dharamshala,
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Ms. Shilpa Bains d/o Sh. Surinder Singh, r/o VPO Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 01–03–1998 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Shilpa Bains d/o Sh. Surinder Singh के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25–11–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

Mrs. Lobsang Choden w/o Lobsang Phuntsok, r/o Office of the Dalai Lama, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public,
2. The Commissioner-*cum*-Registrar Births and Deaths, MC Dharamshala,
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mrs. Lobsang Choden w/o Lobsang Phuntsok, r/o Office of the Dalai Lama, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 04–12–1982 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Lobsang Choden w/o Lobsang Phuntsok के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25–11–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख 24–11–2025

मुश्त्री मुनादी।

देव

बनाम

टेक चंद आदि

प्रतिवादी 1. श्रीमती कलशो देवी पुत्री दीवाना पुत्र टीडू, श्री लुडन, विपिन पुत्रान व श्रीमती सपना, पूजा पुत्रियां अनीता पुत्री रेशा, 3. श्री सुभाष चन्द पुत्र व श्रीमती घनो देवी, रीना देवी, Kanta देवी पुत्रियां रेशा पुत्री म्खौली, 4. श्री सागर पुत्र व सारिका पुत्री व श्रीमती रंजना देवी पत्नी स्व0 कालिदास पुत्र रसालू, 5. श्री केवल कुमार पुत्र व श्रीमती चंपा देवी, किरना देवी पुत्रियां रसालू, 6. श्रीमती निम्मो, कलावतु पुत्रियां नीरू पुत्र मुश्कु, 7. श्री प्रदीप कुमार पुत्र पूरण चन्द पुत्र नंदू, 8. श्रीमती केसरो देवी पत्नी स्व0 नंदू पुत्र मुश्कु, 9. श्री टीमो, प्यारो पुत्रान व श्रीमती विध्या, शकुंतला देवी, निर्मला पुत्रियां नेगी पुत्र झाला, 10. श्री गगन सिंह पुत्र मुंशी राम पुत्र फतु राम, 11. श्रीमती शारदा पुत्री शगुन पुत्र नामालूम, 12. श्री प्यारे लाल पुत्र व श्रीमती हुकमी देवी, पुष्पा देवी, पूतना देवी पुत्रियां श्रीमती सूती देवी, 13. श्रीमती रजनी देवी व संजीवना देवी पुत्रियां व श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी स्व0 गौतम चन्द पुत्र सूती देवी।

विषय.––भूमि खाता नंबर 39, खतौनी नंबर 55 ता 61, खसरा कित्ता 13, रकबा तादादी 00–13–55 है वाक्या महाल घनियारा, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, जमाबन्दी साल 2015–16 की तकसीम करने हेतु।

इस अदालत में प्रार्थी श्री देव पुत्र दीवाना पुत्र टीडू ने प्रार्थना–पत्र पेश किया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष समन साधारण तरीका से तामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस अदालती इश्तहार राजपत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 24–11–2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवें। अन्यथा गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर और मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

Shri Lobsang Tsultrim s/o Jampa Tsultrim, r/o Norbulingka, V.P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shri Lobsang Tsultrim s/o Jampa Tsultrim, r/o Norbulingka, V.P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी daughter Ngawang Tselha d/o Lobsang Tsultrim का जन्म दिनांक 09–09–2008 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा / मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Ngawang Tselha के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06–11–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

Shri Lobsang Tsultrim s/o Jampa Tsultrim, r/o Norbulingka, V.P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shri Lobsang Tsultrim s/o Jampa Tsultrim, r/o Norbulingka, V.P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी daughter Ngawang Norzin d/o Lobsang Tsultrim का जन्म दिनांक 23–03–2006 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा / मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Ngawang Norzin के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई

उजर / एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06–11–2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

मिसल नं0 : 13 / 2025 तारीख मजरुआ : 22–10–2025 तारीख पेशी : 20–11–2025

श्री यशविन्द्र मेहता पुत्र श्री प्यार सिंह पुत्र उमदा, निवासी गांव हडैट, डाकघर सरोत्री, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री यशविन्द्र मेहता पुत्र श्री प्यार सिंह पुत्र उमदा, निवासी गांव हडैट, डाकघर सरोत्री, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में दिनांक 25–10–2025 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम यशविन्द्र मेहता है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल हडैट में यशविन्द्र सिंह दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अवाह्न पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्व0 घोषणा पत्र, पैन कार्ड, शिक्षा प्रमाण–पत्र व आधार कार्ड, साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल हडैट में प्रार्थी का नाम यशविन्द्र सिंह के स्थान पर यशविन्द्र सिंह उपनाम यशविन्द्र मेहता पुत्र श्री प्यार सिंह पुत्र उमदा, निवासी गांव हडैट, डाकघर सरोत्री, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20–11–2025 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। वसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 25–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-9, the 24th October, 2025

No. PCH-HA(3)43/2009-I/711399/2025.—The Hindi and English name of Gram Sabha mentioned at Sr. No. 176 of the Schedule-A, as notified *vide* Notification No. PCH-HA(1)4/07-30076-30258, dated 04-10-2023, may be read as "कौलां वाला टोबा" (Kaulan Wala Toba) for use in Local Government Directory and other government schemes.

By order,

Sd/-
Secretary (Panchayati Raj).

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–171004, 04 नवम्बर, 2025

सं0 वि0स0–विधायन–प्रा0 / 1–1 / 2023.––राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 04 नवम्बर, 2025 सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :––

"मैं, शिव प्रताप शुक्ल, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के दशम् सत्र का आह्वान बुधवार, दिनांक 26–11–2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से हिमाचल प्रदेश विधान सभा, तपोवन, धर्मशाला में समवेत होने के लिए करता हूं।

शिव प्रताप शुक्ल
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।"

आदेश द्वारा:

यशपाल शर्मा
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla–171004*, the 4th November,* 2025

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2023.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 4th November, 2025 is hereby published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by virtue of clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, Shiv Pratap Shukla, Governor of Himachal Pradesh, hereby summon the Fourteenth Vidhan Sabha to meet for its Tenth Session at 11.00 A.M. on Wednesday, the 26th November, 2025, in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Tapovan, Dharamshala.

SHIV PRATAP SHUKLA
Governor,
Himachal Pradesh."

By order:

YASH PAUL SHARMA
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।